



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102025-267182
CG-DL-E-27102025-267182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4731]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947

No. 4731]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4877(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पुडुचेरी राज्य के पुडुचेरी जिले में NH-332A के कि.मी. 76 से कि.मी.107.938 (II फ्लोर, रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स, साउथ कार स्ट्रीट, विलियनुर, पुडुचेरी - 605110) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्यूटी कलेक्टर (रेवेन्यू) (साउथ), विलियनुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में

या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पुडुचेरी राज्य के पुडुचेरी जिले में NH-332A के कि.मी. 76 से कि.मी.107.938 (II फ्लोर, रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स, साउथ कार स्ट्रीट, विलियनुर, पुडुचेरी - 605110) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: पुडुचेरी			जिले का नाम: पुडुचेरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: विलियनूर					
गांव का नाम: सेलिपेट					
1	1/4B	निजी	ड्राय	125 (वर्ग मीटर)	0.0125
2	1/5B	निजी	ड्राय	232 (वर्ग मीटर)	0.0232
3	2/5B	निजी	ड्राय	115 (वर्ग मीटर)	0.0115
4	2/6A/2	निजी	ड्राय	273 (वर्ग मीटर)	0.0273
गांव का नाम: तिरुवंडरकोइल					
5	145/3B	निजी	वेट	230 (वर्ग मीटर)	0.023
6	145/5B	निजी	वेट	482 (वर्ग मीटर)	0.0482
7	146/5B	निजी	वेट	1250 (वर्ग मीटर)	0.125
8	147/3B	निजी	वेट	295 (वर्ग मीटर)	0.0295
9	149/3B	निजी	वेट	38 (वर्ग मीटर)	0.0038
10	150/3B	निजी	वेट	16 (वर्ग मीटर)	0.0016
11	150/4B	निजी	वेट	53 (वर्ग मीटर)	0.0053
12	150/6A/2	निजी	वेट	19 (वर्ग मीटर)	0.0019
13	163/6A/1B	निजी	ड्राय	17 (वर्ग मीटर)	0.0017

14	163/6B/1B	निजी	ड्राय	47 (वर्ग मीटर)	0.0047
15	163/7A/1B	निजी	ड्राय	7 (वर्ग मीटर)	0.0007
16	163/7B/1B	निजी	ड्राय	62 (वर्ग मीटर)	0.0062
गांव का नाम: थुथिपेट					
17	74/2B	निजी	वेट	81 (वर्ग मीटर)	0.0081
18	78/2	सरकारी	कैनल	1 (वर्ग मीटर)	0.0001
19	79/2B	निजी	वेट	11 (वर्ग मीटर)	0.0011
Total					0.3354

[फा. सं. NHAI/18011/249/2018/PIU Chennai / dated 26-3-2018/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2025

S.O. 4877(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-332A in the stretch of land from Km. 76 to Km. 107.938 (II Floor, Revenue Complex, South Car Street, Villianur, Puducherry - 605110.) in the district of PUDUCHERRY in the state of PONDICHERRY, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Collector (Revenue) (South), Villianur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-332A in the stretch of land from Km. 76 to Km. 107.938 (II Floor, Revenue Complex, South Car Street, Villianur, Puducherry - 605110.) in the district of PUDUCHERRY in the state of PONDICHERRY

State: PONDICHERRY			District: PUDUCHERRY		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Villianur					
Village: Sellipet					
1	1/4B	Private	Dry	125 (Square Meter)	0.0125
2	1/5B	Private	Dry	232 (Square Meter)	0.0232
3	2/5B	Private	Dry	115 (Square Meter)	0.0115
4	2/6A/2	Private	Dry	273 (Square Meter)	0.0273
Village: Thiruvandarkoil					
5	145/3B	Private	Wet	230 (Square Meter)	0.023
6	145/5B	Private	Wet	482 (Square Meter)	0.0482
7	146/5B	Private	Wet	1250 (Square Meter)	0.125
8	147/3B	Private	Wet	295 (Square Meter)	0.0295
9	149/3B	Private	Wet	38 (Square Meter)	0.0038
10	150/3B	Private	Wet	16 (Square Meter)	0.0016
11	150/4B	Private	Wet	53 (Square Meter)	0.0053
12	150/6A/2	Private	Wet	19 (Square Meter)	0.0019
13	163/6A/1B	Private	Dry	17 (Square Meter)	0.0017
14	163/6B/1B	Private	Dry	47 (Square Meter)	0.0047
15	163/7A/1B	Private	Dry	7 (Square Meter)	0.0007
16	163/7B/1B	Private	Dry	62 (Square Meter)	0.0062
Village: Thuthipet					
17	74/2B	Private	Wet	81 (Square Meter)	0.0081
18	78/2	Government	Canal	1 (Square Meter)	0.0001
19	79/2B	Private	Wet	11 (Square Meter)	0.0011
Total					0.3354

[F. No. NHAI/18011/249/2018/PIU Chennai / dated 26-3-2018/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director